भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1051
जिसका उत्तर बुधवार 27 जुलाई, 2016 को दिया जाना है

2000 सीसी डीज़ल कारों पर प्रतिबंध का प्रभाव

1051. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले डीज़ल के इंजनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को किस प्रकार देखता है;

(ख) क्या यह बात मंत्रालय की जानकारी में आई है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा देश के अन्य प्रमुख शहरों पर भी यह प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इसका वाहन उद्योग पर और वाहन क्षेत्र द्वारा समग्र रूप से प्रदान किए जा रहे रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण से अन्य शहरों पर प्रतिबंध न लगाने का अनुरोध किया है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 2000 सीसी और इससे अधिक सीसी की नई डीजल कारों की बिक्री पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 दिसम्बर, 2015 को अंतरिम प्रतिबंध लगाया गया है। भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है और 2000 सीसी से अधिक की इंजन क्षमता वाले नए डीजल वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने वाले 16 दिसम्बर, 2015 के आदेश को परिवर्तित करने का अनुरोध किया है। इस विभाग ने यह भी अनुरोध किया है कि बीएस IV उत्सर्जन मानक देश में अत्यधिक कठोर उत्सर्जन मानक हैं और ऐसी श्रेणी के वाहन जो कठोर उत्सर्जन विनियमनों तथा देश के सभी अन्य कानूनों और विनियमनों को पूरा करते हैं, पर प्रतिबंध लगाना न्यायोचित नहीं है।

(ख): हरित अधिकरण की दक्षिणी पीठ की एक सर्किट पीठ मई, 2016 में केरल राज्य में 2000 सीसी और इससे अधिक सीसी की नई डीजल कारों पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। तथापि, माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा इस पर एक स्थगन प्रदान किया गया था। इस मामले पर एनजीटी सर्किट पीठ द्वारा केरल में दोबारा सुनवाई होनी है।

(ग): संपूर्ण देश में समग्र ऑटोमोटिव क्षेत्रों में नए निवेशों पर पिछले 6 महिनों में निर्णय निश्चित रूप से रोक दिए गए हैं क्योंकि माननीय न्यायालयों तथा अधिकरणों द्वारा हाल ही के निदेशों के आलोक में मौजूदा सरकारी नीतियों को जारी रखने के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि ऑटो उद्योग को संदेह है।

(घ): भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने वर्धमान कौशिक और अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य [ओ.ए.सं. 2014 की 21, 2015 की 95 तथा 2015 की 303] के मामले में अभियोजन के लिए 28 मई, 2016 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष आवेदन किया है और माननीय अधिकरण से अनुरोध किया है कि किसी भी शहर में प्रयुक्त ईंधन की ओर ध्यान दिए बगैर सांविधिक उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले नए वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए।

******